भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1658
दिनांक 21 दिसम्बर, 2022/30 अग्रहायण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा आत्महत्या के मामलों में वृद्धि

1658. श्री दिग्विजय सिंह:
श्री नीरज डांगीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विगत पांच वर्षों के दौरान देश में दैनिक वेतनभोगी कामगारों द्वारा आत्महत्या के मामलों में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान देश में दैनिक वेतनभोगी कामगारों द्वारा आत्महत्या करने संबंधी मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2021 में व्यवसाय-वार आत्महत्या करने वालों में दैनिक वेतनभोगी कामगारों की संख्या सबसे अधिक थी; और

(घ) सरकार द्वारा दैनिक वेतनभोगी कामगारों द्वारा आत्महत्याओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएँ (एडीएसआई)' में आत्महत्या के आंकड़ों को संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2021 तक उपलब्ध हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2017-2021, के दौरान दैनिक वेतन भोगी कामगारों द्वारा की गयी आत्महत्याओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक-I में दी गयी है। 2021 के दौरान देश में लोगों द्वारा की गयी आत्महत्याओं की व्यवसाय-वार संख्या अनुलग्नक-II में दी गयी है।

(घ): कृषि क्षेत्र में कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। इस अधिनियम की अपेक्षा है कि असंगठित कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता छत्र, (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण तथा (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य लाभ से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी स्कीमें बनाई जाएं। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और अपंगता छत्र प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभों का ध्यान आयुष्मान भारत स्कीम के माध्यम से रखा जाता है। न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण के लिए, भारत सरकार ने हाल ही में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) का सूत्रपात किया है। इस योजना, जो अंशदायी आधार पर है, के अंतर्गत असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

*****

राज्य सभा अता. प्रश्न सं.-1658 दिनांक 21.12.2022

अनुलग्नक-I

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2017-2021 के दौरान दैनिक वेतन भोगी कामगारों द्वारा की गई आत्महत्याओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017	2018	2019	2020	2021
1	आंध्र प्रदेश	1397	1510	2167	2501	3014
2	अरुणाचल प्रदेश	7	8	18	13	23
3	असम	206	235	279	789	659
4	बिहार	13	8	76	69	29
5	छत्तीसगढ़	1292	1140	1679	1964	2040
6	गोवा	37	27	30	39	33
7	गुजरात	2131	2522	2649	2754	3206
8	हरियाणा	475	413	409	721	535
9	हिमाचल प्रदेश	23	80	57	142	125
10	झारखंड	79	66	92	134	156
11	कर्नाटक	1715	1542	1631	2373	2313
12	केरल	2643	2544	2809	2496	3345
13	मध्य प्रदेश	3039	3521	3964	4945	4657
14	महाराष्ट्र	3669	3946	4128	4176	5270
15	मणिपुर	1	2	1	2	5
16	मेघालय	36	39	55	66	77
17	मिजोरम	25	31	12	0	37
18	नागालैंड	7	7	4	3	2
19	ओडिशा	248	363	346	274	320
20	पंजाब	339	348	585	749	864
21	राजस्थान	669	769	1062	1128	1256
22	सिक्किम	19	34	31	12	22
23	तमिलनाडु	5624	5565	5186	6495	7673
24	तेलंगाना	2507	2905	2858	3831	4223
25	त्रिपुरा	229	286	218	338	351
26	उत्तर प्रदेश	490	525	859	245	482
27	उत्तराखंड	4	9	44	119	30
28	पश्चिम बंगाल	1438	1385	1002	895	925
कुल राज्य		**28362**	**29830**	**32251**	**37273**	**41672**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	5	9	9	18
30	चंडीगढ़	7	4	7	2	16
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव @ +	4	17	14	24	8
32	दिल्ली	236	237	247	294	233
33	जम्मू और कश्मीर @ *	21	1	0	31	9
34	लद्दाख @	-	-	-	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	110	33	35	33	48
कुल संघ राज्य क्षेत्र		**379**	**297**	**312**	**393**	**332**
कुल अखिल भारत		**28741**	**30127**	**32563**	**37666**	**42004**

स्रोत: भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएँ

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

+' 2014-2019 के दौरान तत्कालीन दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र का संयुक्त डेटा

'*' 2014-2019 के दौरान लद्दाख सहित तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य का डेटा

@' नवसृजित संघ राज्य क्षेत्र का डेटा

******

राज्य सभा अता. प्रश्न सं.-1658 दिनांक 21.12.2022

अनुलग्नक-II

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 के दौरान देश में लोगों द्वारा की गयी आत्महत्याओं की व्यवसाय-वार संख्या

क्र.सं.	व्यवसाय	कुल
1	गृहिणी	23179
2	पेशेवर/वेतनभोगी व्यक्ति (कुल)	15870
2.1	सरकार। नौकर (कुल)	1898
2.1.1	केंद्र/संघ राज्य सरकार। नौकरों	381
2.1.2	राज्य सरकार। नौकरों	1131
2.1.3	अन्य सांविधिक निकाय/आदि।	386
2.2	निजी क्षेत्र के उद्यम	11431
2.3	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2541
3	छात्र	13089
4	बेरोजगार व्यक्ति	13714
5	स्व-नियोजित व्यक्ति (कुल)	20231
5.1	व्यवसाय (कुल)	12055
5.1.1	वेंडर	4532
5.1.2	दस्तकारों	3633
5.1.3	अन्य	3890
5.2	अन्य स्व-नियोजित व्यक्ति	8176
6	कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्ति (कुल)	10881
6.1	किसान/कृषक (उप-योग)	5318
6.1.1	जो खेतिहर मजदूरों की सहायता से या उनके बिना अपनी जमीन पर खेती करते हैं	4806
6.1.2	जो खेतिहर मजदूरों की सहायता से या बिना पट्टे की जमीन पर खेती करते हैं/पट्टे पर/दूसरे की जमीन पर काम करते हैं (जिसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है)	512
6.2	खेतिहर मजदूर	5563
7	**दैनिक वेतन भोगी कामगार**	**42004**
8	सेवानिवृत्त व्यक्ति	1518
9	अन्य व्यक्ति	23547
10	**कुल**	**164033**

राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

स्रोत: भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएँ

******